

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक :- 04 .07 .2014

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (मुख्य) का आयोजन अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। चूंकि इस बार यह परीक्षा नए पैटर्न पर आधारित होगी अतः आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (मुख्य) के चारों प्रश्न-पत्रों के स्वरूप एवं परीक्षा योजना बाबत अभ्यर्थियों के हित में यह सूचित किया जाता है कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

**प्रश्न पत्र – प्रथम एवं तृतीय – (सामान्य अध्ययन- I एवं सामान्य अध्ययन- III)**

उपरोक्त प्रश्न-पत्र चार भागों में विभाजित होंगे –

भाग- 'क' में अति लघूत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'ख' में लघूत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'ग' में दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 100 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'घ' में निबंधात्मक अथवा अति दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 200 शब्दों में दिया जाना है।

**प्रश्न पत्र – द्वितीय (सामान्य अध्ययन- II)**

इकाई- 'क'– तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :-

भाग- 'क'– अति लघूत्तरात्मक प्रकार

भाग- 'ख'– लघूत्तरात्मक प्रकार

भाग- 'ग'– दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार/निबंधात्मक प्रकार

उपरोक्त खण्डों के प्रश्न सारणी, ग्राफ, आकृति एवं अंक आधारित होंगे।

इकाई- 'ख'– सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :-

उपरोक्त प्रश्न-पत्र चार भागों में विभाजित होंगे –

भाग- 'क' में अति लघूत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 20 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'ख' में लघूत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'ग' में दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 100 शब्दों में दिया जाना है।

भाग- 'घ' में निबंधात्मक अथवा अति दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 200 शब्दों में दिया जाना है।

**प्रश्न पत्र – चतुर्थ (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी)**

**हिन्दी – अधिकतम अंक 100**

उपरोक्त भाग तीन खण्डों में विभाजित होगा –

भाग– 'क'– व्याकरण से संबंधित प्रश्न

भाग– 'ख'– संक्षिप्ति करण, वृद्धि करण, पत्र लेखन

भाग– 'ग'– निबंध लेखन (शब्द सीमा 500 शब्द)

**राजस्थानी साहित्य एवं बोलियाँ – अधिकतम अंक 20**

उपरोक्त भाग दो खण्डों में विभाजित होगा –

खण्ड– 'क'– पाठ्यक्रम अनुसार

खण्ड – 'ख'– पाठ्यक्रम अनुसार

**अंग्रेजी– अधिकतम – अधिकतम अंक 80**

उपरोक्त भाग तीन खण्डों में विभाजित होगा –

भाग– 'क'– Grammar

भाग– 'ख'– Comprehension and Translation

भाग– 'ग'– Composition (Paragraph writing 200 words, Letter/Report writing or Precis writing)

प्रश्न-पत्रों के उपरोक्त प्रस्तावित स्वरूप में प्रश्न-पत्र निर्धारण के समय आंशिक परिवर्तन संभव है।

(नरेश कुमार ठकराल)  
सचिव

---